


65



फाइल नं. 3147-PM/2015  
माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

मेसर्स रायश्री हाईवे डेवलपर्स तर्फे पार्टनर-

(1) सिद्धार्थ पिता एम.के जैन

(2) तुषार पिता सुरेश चौपडा

पता- 272/3, साजन नगर इंदौर।

--- प्रार्थी

विरुद्ध

1- कुदरत पिता स्व. आलम पटेल

निवासी-ग्राम सोनवाय तहसील महू जिला इंदौर

2- प्रदीप पिता किशनलाल

निवासी- 14, बडा सराफा इंदौर

3- दीपेश कुमार पिता दिलीप कुमार

निवासी- सांठा बाजार इंदौर

4- श्रीमती अंशु जैन पति मिकेश जैन

5- श्रीमती निधी जैन पति श्री ऋषभजी जैन

दोनों निवासी- 6 जानकी नगर एनेक्स इंदौर

---प्रतिप्रार्थीगण



निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान् अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 128/अपील/14-15 में दिनांक 06/08/2015 को पारित आदेश से असन्तुष्ट होकर यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3147/पीबीआर/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.02.2019	<p>उभय पक्ष द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके बीच समझौता हो गया है तथा व्यवहार न्यायालय में समझौते के आधार पर दिनांक 27.02.2016 को आदेश भी हो गया है। व्यवहार न्यायालय के निर्णय के आधार पर संबंधित पक्ष तहसील न्यायालय में पुनः नामांतरण के लिए आवेदन देने के लिए स्वतंत्र हैं। यह निगरानी आगे चलाये जाने का कोई औचित्य न होने से समाप्त की जाती है।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> अध्यक्ष</p>	